



महिला एवं नाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना
महिलाओं को निःशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण

Rajasthan Knowledge Corporation Limited

प्रशिक्षण हेतु वीयता क्रम में आईटी. ज्ञान केन्द्रों का विवरण :

विकल्प आईटी. ज्ञान केन्द्र का कोड नं. आईटी. ज्ञान केन्द्र का नाम
1.
2.

प्रशिक्षणार्थी का नाम: प्रथम नाम..... मध्यम नाम..... अन्तिम नाम.....

पिता का नाम..... माता का नाम.....

जन्म तिथि : (दिन/महिना/वर्ष) :

वैवाहिक स्थिति: अविवाहित विवाहित

तलाकशुदा विधवा परित्यक्ता

मोबाइल नंबर..... ई-मेल आईडी.....

आधार कार्ड नंबर..... भाराशाह कार्ड न.....

स्थायी पता : मकान न./गली/मौहल्ला..... शहर/कस्बा/गाँव.....

ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम.....

तहसील :..... जिला :..... पिन कोड :.....

आवेदक की श्रेणी : (सम्बन्धित श्रेणी पर टिक करें एवं विवरण डालें)

सामान्य

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति : जनजाति उपयोजना (टीएसपी) : तहसील :..... जिला :.....
गैर-जनजाति उपयोजना (नॉन-टीएसपी) (माडा अथवा विखरी)

सहरिया

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

जाति :..... धर्म : हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई जैन पारसी अन्य

महिला श्रेणी : विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा हिंसा से पीड़ित महिला

शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	प्रतिशत	पास करने का महिना एवं वर्ष
दसवीं (आरएस-सीआईटी हेतु अनिवार्य)			
स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका			

• शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी एवं अन्य अनिवार्य प्रमाण पत्र-

1. आयु सत्यापन हेतु 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/अंक तालिका।
2. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका तथा कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसके साझे में कक्षा 12 वीं का प्रमाण-पत्र।
3. स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका।
4. विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।
5. हिंसा से पीड़ित महिला के प्रकरण में एफआई आर की प्रति/घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुखा एवं सलाह केन्द्र/अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति।
6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण-पत्र।

घोषणा :-

1. मैं उद्घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं।
2. मैंने RS-CIT/RS-CFA पाठ्यक्रम में से एक पाठ्यक्रम के लिए ही आवेदन किया है।
3. मैं पूर्ण में राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रही योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार के कम्प्यूटर कोर्स या योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हुई हूँ।

स्थान :.....
दिनांक :.....



हस्ताक्षर